

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 289 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवीलाल पिलानियां
कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय:- 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड, स्कवायर,
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. 302020

शाखा कार्यालय:- द्वितीय तल, पार्वती टॉवर, पोलो ग्राउण्ड, हरीराम मार्ग, चांदपोल
सीकर राज. 332001

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. जोधाराम पुत्र बालू राम (फौत) जरिये वारिसान:-

1/1 निर्मला पत्नी हरफूल (पुत्रवधू)

1/2 हरफूल पुत्र जोधाराम

1/3 विकास कुमार पुत्र जोधाराम

1/4 राजकुमार बलाई पुत्र जोधाराम

प्रथम पता:- वार्ड न. 11, रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

द्वितीय पता:-पट्टा सं. 89, ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

2. निर्मला पत्नी हरफूल निवासी वार्ड न. 11, रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला
सीकर राज.

3. राजकुमार बलाई पुत्र जोधाराम निवासी वार्ड न. 11, रैवासा तहसील दांतारामगढ़
जिला सीकर राज.

4. विकास कुमार पुत्र जोधाराम निवासी वार्ड न. 11, रैवासा तहसील दांतारामगढ़
जिला सीकर राज.

5. हरफूल पुत्र जोधाराम निवासी वार्ड न. 11, रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला
सीकर राज.

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 11 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री परिवेश कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **जोधाराम पुत्र बालू राम (फौत) जरिये वारिसानः 1/1 निर्मला पत्नी हरफूल (पुत्रवधू), 1/2 हरफूल पुत्र जोधाराम, 1/3 विकास कुमार पुत्र जोधाराम, 1/4 राजकुमार बलाई पुत्र जोधाराम, निर्मला पत्नी हरफूल, राजकुमार बलाई पुत्र जोधाराम, विकास कुमार पुत्र जोधाराम, व हरफूल पुत्र जोधाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा सं. 89, ग्राम रैवासा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 177.50 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में गिरधारी का मकान, दक्षिण दिशा में स्वयं और गिरधारी का मकान, पूरब दिशा में स्वयं का प्लॉट व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर क्रमशः **₹9,50,000/-** व **₹6,00,000/-** कुल **₹15,50,000/-** रुपये (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख पचास हजार) का ऋण स्वीकृत कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.09.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री शंकर लाल सैनी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.09.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **जोधाराम पुत्र बालू राम (फौत) जरिये वारिसानः 1/1 निर्मला पत्नी हरफूल (पुत्रवधू), 1/2 हरफूल पुत्र जोधाराम, 1/3 विकास कुमार पुत्र जोधाराम, 1/4 राजकुमार बलाई पुत्र जोधाराम, निर्मला पत्नी हरफूल, राजकुमार बलाई पुत्र जोधाराम, विकास कुमार पुत्र जोधाराम, व हरफूल पुत्र जोधाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा सं. 89, ग्राम रैवासा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 177.50 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- उत्तर दिशा में गिरधारी का मकान, दक्षिण दिशा में स्वयं और गिरधारी का मकान, पूरब दिशा में स्वयं का प्लॉट व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **11 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशीष मोदी)
 (आशीष मोदी)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर